न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2020/00120

शम्भू आत्मज खेता जी जाति भील निवासी प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. पीरू आत्मज कालू कौम मेघवंशी निवासी प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   2/1. सुखपाल आत्मज पीरू जाति मेघवंशी ।
   2/2. गोपाल आत्मज पीरू जाति मेघवंशी ।
   2/3. रामकिशन आत्मज पीरू जाति मेघवंशी (मृतक) जरिये कायममुकामान–
   2/3/1. कमल पुत्र स्व0 रामकिशन ।
   2/3/2. महेन्द्र पुत्र स्व0 रामकिशन ।
   2/3/3. राजेश पुत्र स्व0 रामकिशन ।
   2/3/4. घींसी बाई बेवा स्व0 रामकिशन ।
   2/4. शांति बाई पुत्री पीरू पत्नी आणदी लाल जाति मेघवंशी निवासी हाल सीन्ता तहसील तालेडा जिला बून्दी ।
   2/5. मनभर पुत्री पीरू पत्नी गणेश राम जाति मेघवंशी निवासी हाल रामचन्द्रपुरा गजक की दुकान कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रामकिशन वर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री बनवारी लाल मीणा, रेस्पोडेन्ट कम 2/1 से 2/5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक: 09.02.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 90, 91 एवं 188 के अन्तर्गत वाद

प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में पुराने खसरा नम्बर 204 की 30 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में से 10 बीघा 03 बिस्वा भूमि दिनांक 24.12.1976 को एडवाइजरी कमेटी द्वारा कीमतन 250/– रूपये प्रतिबीघा से आवंटित की गई थी और आवंटन के आदेश की पालना में दिनांक 29.01.1977 को मौके पर जाकर दखल दिया गया तब से वादी उक्त भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी नामान्तरकरण संख्या 142 से दिनांक 04.03.77 को वादी की गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई । वादी को जिस स्थान पर कब्जा दिया गया उसी स्थान पर वादी काबिज काश्त चला आ रहा है । वादी के साथ प्रतिवादी क्रम 02 को भी इसी खसरा नम्बर 204 की 05 बीघा भूमि दिनांक 24.12.1976 को आवंटन की जाकर उसे भी दखल दिनांक 29.01.1977 को दिया और उनके गैर खातेदारी में भूमि दर्ज की गई । प्रतिवादी को जहॉ कब्जा दिया गया वह आज भी वहीं पर काबिज काश्त है । इसके बाद खसरा नम्बर 204 की भूमि में नहर निकाल दी और सेटलमेंट कर दिया तथा सेटलमेंट के पश्चात् नहर का नया खसरा नम्बर 379 कायम किया जिसके पूर्व दिशा की ओर भूमि पर वादी का व प्रतिवादी क्रम 02 का कब्जा रहा । सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी की 10 बीघा 03 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 377 की रकबा 0.42 हैक्टर व खसरा नम्बर 392 की 0.74 हैक्टर भूमि कायम कर वादी की गैर खातेदारी में दर्ज कर दी है । इसी प्रकार प्रतिवादी की भूमि के नये खसरा नम्बर 376 रकबा 0.71 हैक्टर कायम कर उसके गैर खातेदारी में दर्ज कर दिया । वादी के कब्जे काश्त की भूमि जो नहर के पूर्व व उत्तर की ओर स्थित है पर कब्जा चला आ रहा है तथा प्रतिवादी क्रम 02 का कब्जा काश्त वादी की भूमि खसरा नम्बर 377 के दक्षिण ओर व खसरा नम्बर 378 के उत्तर की ओर यानि दोनों भूमि के मध्य में नहर के सहारे चला आ रहा है । वादी को आवंटनशुदा आराजी के सहारे की खसरा नम्बर 204 की 03 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर बहैसियत अतिक्रमी के कब्जा काश्त चला आ रहा है जिससे वह उक्त भूमि पर कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी बन चुका है । प्रतिवादी क्रम 01 ने सेटलमेंट के दौरान नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 392 की भूमि नहर के पश्चिम की ओर अंकित कर रखी है जिस पर वादी का कोई कब्जा काश्त नहीं है जबकि उक्त भूमि वादी के खाते दर्ज कर दी जो गलत है । वादी का कब्जा मौके पर 13 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर नहर के पूर्व ओर चला आ रहा है जिसका खसरा नम्बर 377 अंकित किया हुआ है इस कारण खसरा नम्बर 376 का अंकन वहॉ से हटाकर खसरा नम्बर 377 का रकबा 0.42 हैक्टर के स्थान पर 13 बीघा 13 बिस्वा कब्जे के अनुसार 2.18 हैक्टर नक्शा ट्रेस में अंकन कर दुरूस्ती किया जाना आवश्यक है । वर्तमान में आवंटित आराजी रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा के अनुसार 1.62 हैक्टर बनते हैं जो वर्तमान में वादी के खाते राजस्व रिकॉर्ड में 1.16 हैक्टर दर्ज कर 0.46 हैक्टर भूमि कम कर दी गई है जबकि मौके पर वादी आवंटित आराजी रकबा 10 बीघा 03 बिस्वा व अतिक्रमित 03 बीघा 10 बिस्वा कुल 13 बीघा 13 बिस्वा के अनुसार 2.18 हैक्टर भूमि पर काबिज काश्त है । इस कारण वादी खसरा नम्बर 277 का रकबा 0.42 हैक्टर के स्थान पर 2.18 हैक्टर दर्ज कराने का अधिकारी है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा के पुराने खसरा नम्बर 204 की 10 बीघा 03 बिस्वा के नये खसरानम्बर 377 की 0.42 हैक्टर के स्थान पर 1.62 हैक्टर भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा खसरा नम्बर 204 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा जिसके 0.56 हैक्टर होते हैं का कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादी को खातेदार घोषित

किया जावे । खसरा नम्बर 377 की 2.18 हैक्टर भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज की जावे तथा खसरा नम्बर 392 की भूमि को सिवायचक दर्ज किया जावे । राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे ट्रेस में दुरूस्ती का अंकन किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 377 की 2.18 हैक्टर भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2017 के द्वारा वादी आंशिक रूप से स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2017 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सरसरी तौर पर वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार अपीलान्ट को खसरा नम्बर 375 की शेष रही 1.35 हैक्टर भूमि में से 0.46 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 377 से सटवा का खातेदार घोषित किया है जबकि अपीलान्ट को खसरा नम्बर 377 की 1.62 हैक्टर भूमि का खातेदार घोषित किया जावे । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 204 रकबा 30 बीघा 03 बिस्वा है जिसमें से 10 बीघा 03 बिस्वा भूमि अपीलान्ट को नियमानुसार आवंटित की गई थी । खसरा नम्बर 392 की भूमि पर वादी का कोई कब्जा नहीं है इस कारण खसरा नम्बर 392 की 0.74 हैक्टर सिवायचक दर्ज के खसरा नम्बर 375 की भूमि में से 0.74 हैक्टर भूमि को व कमी रकबा 0.46 हैक्टर भूमि को भी खसरा नम्बर 377 की भूमि में शामिल करते हुए वादी को 1.62 हैक्टर भूमि का गैर खातेदार से खातेदारी अधिकारी प्रदान कर खातेदार घोषित किया जाना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतु इजराय की कार्यवाही पेश की थी जिसमें अपीलान्ट को जानकारी प्राप्त हुई कि आवंटित आराजी पहले गैर खातेदारी में व बाद में खातेदारी में दर्ज होती है । वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 375 की 0.46 हैक्टर हैक्टर को पहले गैर खातेदारी में व बाद में गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने का आदेश पारित किया जाना चाहिए था किन्तु ऐसा न कर सीधे ही खातेदारी में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है । अपीलान्ट ने दिनांक 10.06.2020 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल हेतु आवेदन पत्र पेश किया और दिनांक 23.06.2020 को नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा इस आशय का पेश किया है ग्राम प्रहलादपुरा तहसील लाडपुरा में खसरा नम्बर 204 की रकबा 30 बीघा 03 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि में से 10 बीघा 03 बिस्वा भूमि अपीलान्ट को सन् 1976 को आवंटित की गई थी और उसमें से 05 बीघा भूमि रेस्पोडेन्ट क्रम 02 को दिनांक 24.12.1976 को आवंटित हो गयी थी । सन् 1977 में अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट को दखल दिया गया था तब से ही जिस आराजी पर दखल दिया गया उस पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट का कब्जा चला आ रहा है । खसरा नम्बर 204 के शेष रकबे में से नहर निकल गई और सेटलमेंट किया गया । नहर का खसरा नम्बर 379 कायम किया उसके पूर्व की दिशा की ओर अपीलान्ट का कब्जा है । सेटलमेंट विभाग ने नये खसरा नम्बर 377 रकबा 0.42 हैक्टर व खसरा नम्बर 392 की रकबा 0.74 हैक्टर कुल 02 किता की 1.16 हैक्टर भूमि अपीलान्ट के नाम गैर खातेदारी में दर्ज कर दी और 0.46 हैक्टर भूमि कम दर्ज की गई जिसे सरकारी सिवायचक दर्ज कर दिया गया । वादी का नहरी के पूर्व उत्तर दिशा की ओर कब्जा है । नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 392 की भूमि नहर के पश्चिम की ओर दिखा रखी है जिस पर वादी का कब्जा नहीं है । नहर के पूर्व की ओर खसरा नम्बर 377 का रकबा 0.42 हैक्टर दर्ज है जिसके स्थान पर रकबा 1.16 हैक्टर व कमी पूर्ति 0.46 हैक्टर की करते हुए 1. 62 हैक्टर दर्ज किया जाकर वादी को खातेदार घोषित किया जावे और स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कमी पूर्ति का वाद मानकर खसरा नम्बर 375 की भूमि में से खसरा नम्बर 377 की सटी हुई 0.46 हैक्टर पर खातेदार घोषित कर दावे को आंशिक रूप से डिक्री किया है जबकि अपीलान्ट को खसरा नम्बर 377 की 1.62 हैक्टर आराजी का खातेदार घोषित किया जाना चाहिए । खसरा नम्बर 375 की रकबा 0.46 हैक्टर को पहले गैर खातेदारी और बाद में खातेदारी में दर्ज करना चाहिए था परन्तु ऐसा न करके सीधे ही खातेदारी में दर्ज करने का आदेश प्रदान किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2017 अपास्त किया जावे तथा अपीलान्ट को खसरा नम्बर 377 की रकबा 1.62 हैक्टर भूमि का गैर खातेदार से खातेदार घोषित किया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट न. 2 के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट को हाल खसरा नम्बर 376 की भूमि आवंटित हुई थी यह आवंटन सन् 1976 में हुआ था उसके बाबत् अपीलान्ट को दावा करने का कोई अधिकार नहीं है । रेस्पोडेन्ट को परेशान करने के लिये यह दावा पेश किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.09.2017 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. वादी के द्वारा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया गया है । दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2066–69 नया खाता संख्या 377 और 392 की कुल 1.62 हैक्टर आराजी नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति और मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038–57 और साबिक खसरा नम्बरान के नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति, आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति पत्रावली पर संलग्न है परन्तु किसी भी दस्तावेज को प्रदर्श नहीं करवाया गया है ।

12. वादी का शपथ पत्र संलग्न है परन्तु शपथ पत्र की ताईद न्यायालय में उपस्थित होकर नहीं की गई है । फोटो प्रति संवत् 2070–73 नया खाता संख्या 168 भी पेश किया है जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 376 प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 नया खाता 29 संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 374/2, 374/402, 375 रकबा 1.43 हैकटर आराजी चन्द्रमोहन पुत्र गोपी बाई, लटूरी बाई बेवा रामकुंवर के खाते में दर्ज है ।

13. अधीनस्थ न्यायालय में न तो दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये हैं और न ही वादी ने अपने शपथ पत्र की ताईद न्यायालय में उपस्थित होकर की है जो कि सीपीसी की पालना में अनिवार्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के खाते के कमी रकबे की पूर्ति खसरा नम्बर 375 रकबा 1.35 हैक्टर से किया है परन्तु खसरा नम्बर 375 की जो फोटो प्रति नकल जमबान्दी पत्रावली पर संलग्न है उसमें खसरा नम्बर 375 का रकबा 1.43 हैक्टर है जो चन्द्रमोहन पुत्र गोपी बाई, लटूरी बाई बेवा रामकंवर के खाते में दर्ज है और इनको पक्षकार नहीं बनाया गया है । खसरा नम्बर 375 की 1.35 हैक्टर का जो विवरण अपीलाधीन निर्णय में आ रहा है उससे सम्बन्धित कोई जमाबन्दी पत्रावली पर संलग्न नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम इस प्रकरण में पुनः दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 07.09.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 13 में किये गये विवेचन को मध्यनजर रखते हुए प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । यदि आवश्यक समझा जावे तो खसरा नम्बर 375 के खातेदारान को भी पक्षकार बनाया जाकर उन्हें भी जवाबदेही का अवसर प्रदान किया जावे । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 18.03.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 09.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

9/2/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा